भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1421

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सीआईएसएफ की कार्मिक संख्या

†1421. श्री थोटा नरसिम्हम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा हाल ही में उठाई गई मांगों के मद्देनजर उसकी कार्मिक – संख्या में वृत्रि करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केवल दिल्ली मेट्रो के तृतीय चरण में ही 3000 अतिरिक्त सीआईएसएफ – कर्मियों की आवश्यकता होगी; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क)और(ख): केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) एक जरुरत-आधारित बल है। जरुरत का मूल्यांकन यूनिट-वार किया जाता है और नई यूनिटों में शामिल करने अथवा मौजूदा यूनिटों में वृद्धि के लिए अपेक्षित पदों की मंजूरी प्रदान की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में, दिनांक 27.11.2014 की स्थिति के अनुसार, सीआईएसएफ की स्वीकृत पद संख्या 1,40,733 है।

(ग)और(घ): सीआईएसएफ से दिल्ली मेट्रो के चरण-।।। हेतु जनशक्ति की जरुरत का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है।

*****